Annexure-28

ADITYA BIRLA

GRASIM

पत्रांक/ग्रासीम/2. 5-17

सेवा में,

जिल [illegible]कारी

सोन[illegible]।

दिनांक- [illegible]/3/ 2017

विषय:- जन[illegible] सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में, मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को लीज पर हस्तान्तरित वन भूमि को पूर्व में मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. तथा वर्तमान में मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति बावत वन अधिकार अधि[illegible]म 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में

महोदय,

निवेद[illegible] के साथ अवगत कराना है कि जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा वन ब्लाक का [illegible]मेन्ट नम्बर 13 की 3.79 वन भूमि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाईप [illegible]ईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी/08/324/9[illegible] एफ.सी.-सी.-407, दिनांक- 23.05.1995 एवं इसके कम में अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी[illegible] 158/14-2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी [illegible]। दिनांक- 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमि[illegible]ल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को ली[illegible] पर दी गयी उक्त 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग समान प्रयोजन हेतु मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया[illegible] [illegible]. रेनुकूट द्वारा करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव रेनुकूट वन प्रभाग के माध्यम से उ0प्र0 शासन को [illegible]त किया गया था। प्रेषित प्रस्ताव के शासन में लम्बित रहते हुए मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) [illegible] रेनुकूट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या-5/2015 [illegible] 6/20[illegible] दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक- 24.11.2015 के अनुपालन में आदित्य बिड़ला [illegible]कल्स इण्डिया लि., मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. में समाहित हो चुकी है तथा प्रश्नगत वन भूमि का उपयो[illegible] अब मे[illegible]सीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है।

मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा उक्त 3.79 हे. वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक [illegible]डल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के कार्यालय में ऑन लाईन फीड कराते हुए उसकी प्रति दिनांक- 25.01.20[illegible] के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय में प्रेषित की गयी। कार्यालय प्रभागीय [illegible]नाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2175/रेनुकूट/15-37 दिनांक- 31.01.20[illegible] द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश संख्या-11-09/1998-एफ[illegible](पी.टी) दिनांक- 28.10.2014 एवं इसके कम में प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 के आदेश संख्या- [illegible]3/14-2-2016 लखनऊ दिनांक- 14.02.2016 के अनुसार जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से वन अधिनियम अधि[illegible]म 2006 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की मॉग की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने की कृ[illegible] करें।

संलग्नक:-उपरोक्त[illegible]ार।

भवदीय

(एच0के0पाण्डा)

सहायक उपाध्यक्ष(वित्त/वाणिज्य)

मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0

रेनुकूट-सोनभद्र

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनकूट, जिला-सोनभद्र, महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Grasim Indu[illegible]tries Limited
Chemical Division - Renukoot
P.O.: Renukoot 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91 5446 252044/55
Fax +91 5446 252083

website www.grasim.com
email grasim.renukoot@adityabirla.com
L17124MP1947PLC000410
AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

Annexure-29

ADITYA BIRLA
GRASIM

पत्रांक :

दिनॉक 16/06/2017

सेवा में ,

जिलाधिकारी

सोनभद्र

S.D.M (D)

विशय– रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र के पिपरी रैंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को हस्तान्तरित वन भूमि एवं आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज व ग्रासीम इण्डस्ट्रीज जो कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनॉक 24-11-2015 से सक्सेसर कम्पनी है के सम्बन्ध में वनाधिकार कानून 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय

निवेदन है कि राजाज्ञा संख्या 1252/14-B-503/61 dated 25/4/1964 के तहत रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को 25 वर्षो लिए प्राप्त हुई थी तथा उ0 प्र0 राजाज्ञा संख्या GI-14-2-95-503/1961 dated 16-01-1996 द्वारा भारत सरकार के पत्र 88/09/324/92/FC-C-407 dated 23/5/1995 जो कि राजाज्ञा सं0 1252/14-B-503/61 dated 25/4/1964 से संदर्भित रहा के तहत उक्त लीजशुदा वन भूमि 3.79 हे0 का 25 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया गया ।

कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज ने अपना रेनुकूट स्थित केमिकल यूनिट ग्रान्ट के शर्तो के तहत समान कार्य एवं उददश्यों के लिए आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज को दिनॉक 08-07-2011 को पंजिकृत विलेख के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया तथा मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनॉक 24-11-2015 के तहत आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज का अमलगमेशन ग्रासीम इण्डस्ट्रीज में हो गया है जिसके कारण उक्त लीज वन भूमि का नवीनीकरण वर्तमान सक्सेसर कम्पनी ग्रासीम इण्डस्ट्रीज के लिए आवश्यक है जिसके लिए नोडल अधिकारी उ0 प्र लखनऊ को प्रेषित किया गया है लेकिन वनाधिकार अधिनियम 2006 के अस्तित्व में आने के कारण नियमानुसार जिलाधिकारी सोनभद्र से इस आशय का प्रमाण पत्र वाछित है कि उक्त लीज एवं नवीनीकृत 3.79 हे0 वन भूमि किसी अन्य ब्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवंटित नहीं की गयी है ।

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रार्थी कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय कि रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को हस्तान्तरित वन भूमि एवं आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज व ग्रासीम जो कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनॉक 24-11-2015 से सक्सेसर कम्पनी है , के सम्बन्ध में वनाधिकार कानून के तहत किसी अन्य ब्यक्ति को नहीं दी गयी है ।

आभार सहित ।

भवदीय

(एच0 के0 पण्डा)

एवी0पी0 / एफ & ए0

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Grasim Industries Limited
Chemical Division - Renukoot
P.O.: Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

Annexure-30

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।

32

सेवा में,

1- प्रभागीय वनाधिकारी
वनप्रभाग रेनुकूट।

2- उप जिलाधिकारी
दुद्धी सोनभद्र।

पत्रांक- /ज0जा0वि0/अधि0 2006/2017-18 दिनांक- 14-07-2017

विषय- रेनुकूट वनप्रभाग रेनुकूट सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेन्ट न0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को हस्तान्तरित वन भूमि एवं आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज व ग्रासीम इण्डस्ट्रीज जो कि वर्तमान में उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनॉक 24-11-2015 से सक्सेरार कम्पनी है, के सम्बन्ध में वनाधिकार कानून 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में :-

महोदय,

कृपया मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संलग्नक पत्र दिनांक 16-06-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय पृष्ठांकन संख्या 6124 दिनांक 07-07-2017 द्वारा उक्त पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया है, जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी को यह आवश्यकता है कि उक्त भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृति संलग्न कर मूल पत्रावली सहित ससमय प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- मूल पत्रावली मूलरुप में।

भवदीय,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।

पृष्ठांकन- /(1) तददिनांक

प्रतिलिपि- मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

S.T.

14/4

Annexure - 31

ADITYA BIRLA
GRASIM

3rd September, 2018

To
The District Collector
Dist. Sonebhadra, U.P.

Sub.: **Request for issuance of NOC for transfer of lease land**

Sir,

This has reference to our letter dated 16/6/2017 in connection with issuance of NOC for enabling compliance of Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 for transfer of our lease hold land of 3.79 hectors in favour of Grasim Industries Ltd., Chemical Division Renukoot.

Our proposal submitted to the Forest Dept. for transfer of above lease land is pending for want of NOC.

We, therefore, request you to kindly arrange to provide the aforesaid NOC so that the process of transfer of lease land can be completed.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot

(H. K. Panda)
Asst. Vice President (F & C)

ERR.
2/9/18

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Annexure-3

ADITYA BIRLA
GRASIM

→ O/C

(37)

18th October, 2018

To
The S.D.M
Dudhi
Dist. Sonebhadra, U.P.

Sub.: **Request for Certification/NOC**

Sir,

This has reference to the letter dated 14/7/2017of *Samaj Kalyan Officer*, Sonebhadra in connection with certification under Recognition of Forest Rights Act. 2006.

We, therefore, request you to kindly take necessary action as requested under aforesaid letter dated 14/7/2017 so that our application for renewal of lease land of 3.79 hector can be processed.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Grasim industries Limited
Chemical Division Renukoot

(H. K. Panda)
Asst. Vice President (F & C)

cc.: 1) D.M., Sonebhadra
2) DFO, Renukoot

23/10/18

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

Grasim Industries Limited
Chemical Division - Renukoot
P.O. Renukoot - 231 217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/76
Fax +91-5446-252058

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

Annexure-33

ADITYA BIRLA

GRASIM

पत्रांक :

सेवा में ,

दिनांक: 18/03/2019

अपर जिलाधिकारी

जनपद– सोनभद्र

विषय : रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट , सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को हस्तान्तरित वन भूमि है तथा आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज तत्पश्चात ग्रासीम इण्डस्ट्रीज जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनांक 24/11/2015 से मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र की सक्सेसर कम्पनी है , के सम्बन्ध में लीज के नवीनीकरण के लिये वनाधिकार कानून 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में :–

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि राजाज्ञा सं0 1252/14-B-503/61 दिनांकित 25/04/1964 के तहत रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट , सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर मे0 कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को 25 वर्षो के लिए प्राप्त हुई थी तथा उ0 प्र0 राजाज्ञा संख्या GI-14-2-95-503/1961 दिनांकित 16/01/1996 द्वारा भारत सरकार के पत्र 88/09/324/92/FC-C-407 दिनांकित 23/05/1995 जो कि राजाज्ञा सं0 1252/14-B-503/61 दिनांकित 25/04/1964 से संदर्भित रहा के तहत उक्त लीजशुदा वन भूमि 3.79 हे0 का 25 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया ।

कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज ने अपना रेनुकूट स्थित केमिकल यूनिट ग्रान्ट के शर्तों के तहत समान कार्य एवं उद्देश्यों के लिये आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज को दिनांक 08/07/2011 को पंजिकृत विलेख के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया तथा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनांक 24/11/2015 के तहत आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज का अमलगमेशन ग्रासीम इण्डस्ट्रीज में हो गया है , जिसके कारण उक्त लीज वन भूमि का नवीनीकरण वर्तमान सक्सेसर कम्पनी ग्रासीम इण्डस्ट्रीज के लिये आवश्यक है , जिसके लिये नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया है जिसकी आन लाईन फीड कराते हुए उसकी प्रति दिनांक 25/01/2017 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय में प्रेषित की गयी । कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या – 2175 / रेनुकूट / 15–37 दिनांक 31/01/2017 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश संख्या–11-09/1998– एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 28/10/2014 एवं इसके कम में प्रमुख सचिव वन एवं वन्यजीव अनुभाग –2 के आदेश संख्या 2083/14-2-2016 लखनऊ दिनांक 14/02/2016 के अनुसार जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की मांग की गयी : अर्थात जिलाधिकारी सोनभद्र से इस आशय का प्रमाण पत्र वांछित है कि उक्त लीज एवं नवीनीकृत 3.79 हे0 वन भूमि किसी अन्य व्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवंटित नहीं की गयी है ।

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra (U.P)

Grasim Industries Limited
Chemical Division Renukoot
P.O. Renukoot - 231217,
Distt. Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91-5446-252044/55/75
Fax +91-5446-252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India

ADITYA BIRLA

GRASIM

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कम्पनी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 01/03/2017 को समस्त पत्रजातों के साथ श्री मान् जिलाधिकारी सोनभद्र को प्रस्तुत की थी तथा दिनांक 6/06/2017 को भी प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत किया गया जिसपर श्री मान् जिलाधिकारी सोनभद्र ने दिनांक 16/06/2017 को उपजिलाधिकारी दुद्धी को नियमानुसार जांच करके आख्या प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया । श्री मान उपजिलाधिकारी दुद्धी ने नियमानुसार जांच कराकर श्री मान जिलाधिकारी सोनभद्र को अपनी जांच आख्या दिनांक 05/07/2017 को प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नगत वन भूमि किसी अन्य व्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवंटित नहीं की गयी है । उक्त सम्बन्धित पत्रावली आवश्यक कार्यवाही एवं प्रमाण पत्र निर्गत हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र को प्रेषित कर दी गयी बादहू जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र द्वारा उक्त मूल पत्रावली उपजिलाधिकारी दुद्धी को पत्रांक – ज0जा0वि0 / अधि0 2006/2017-18 दिनांक 14/07/2017 द्वारा इस आशय से प्रेषित की गयी कि " उक्त भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृति संलग्न कर मूल पत्रावली सहित ससमय प्रेषित करने का कष्ट करें " । इसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनुकूट को भी दी गयी एवं प्रार्थी को भी सूचनार्थ प्रेषित किया गया ।

कम्पनी की उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16/06/2017 के संदर्भ में कई बार उपजिलाधिकारी दुद्धी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में जानकारी किया गया लेकिन कोई भी सुचना अभी तक नहीं मिल सकी और न ही जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से प्रमाण पत्र ही प्राप्त हो सका ।

अतः श्री मान् जी से निवेदन है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रार्थी कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय कि रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र के पिपरी रेंज अन्तर्गत मुर्धवा कम्पार्टमेंट नं0 13 की 3.79 हेक्टेयर लीज पर कनौरिया केमिकल्स एण्डस्ट्रीज रेनुकूट सोनभद्र को हस्तान्तरित वन भूमि एवं आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज जो अब मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश दिनांक 24/11/2015 से ग्रासीम इण्डस्ट्रीज सक्सेसर कम्पनी है , के सम्बन्ध मे वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गयी है ।

आभार सहित ।

भवदीय

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एच. के. पण्डा)

ए. वी. पी. / एफ. & ए

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra (U.P.)

Grasim Industries Limited
Chemical Division - Renukoot
P.O. Renukoot 231217,
Distt.: Sonebhadra (U.P.) India

Telephone +91- 5446 - 252044/55/75
Fax +91- 5446 - 252088

Website www.grasim.com
E-mail grasim.renukoot@adityabirla.com
CIN L17124MP1947PLC000410
PAN AAACG4464B

Regd. Office - Birlagram, Nagda - 456331, M.P., India